उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

:: ज्ञापन ::

क्रमांक/प्रशासन/210–ए(भाग)/ इन्दौर, दिनांक /01/2018

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ,
इन्दौर (म.प्र.)

विषय : ऑनलाईन ई–कोर्ट फीस की सुविधा के सम्बंध में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

संदर्भ : मुख्यपीठ जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक–रजि.(आई.टी.)(एस.ए.)/2014/1538 दिनांक 07.12.2017, इस रजिस्ट्री का पृष्ठां. क्र.–प्रशासन/117–ए/2101 इन्दौर, दिनांक 23.11.2017 तथा ज्ञापन क्र.–प्रशा./210–ए(भाग)/2749 इन्दौर, दि. 12.12.2017

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित ज्ञापन व पृष्ठांकन के सम्बंध में अनुरोध है कि मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा ऑफलाईन कोर्ट फीस की सुविधा बन्द करते हुए ऑनलाईन ई–कोर्ट फीस की सुविधा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की विभागीय वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रारंभ की गई है। उक्त सुविधा के सुचारू रूप से संचालन हेतु पूर्व में प्रदान किए गए प्रशिक्षण के तारतम्य में दिनांक 12/01/2018 (शुक्रवार) को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर के सभाकक्ष में दोप. 04.40 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

उक्त प्रशिक्षण में उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, इन्दौर के समस्त पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अभिभाषकगण, अभिभाषकगण तथा उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, इन्दौर के सचिवालयीन स्टॉफ सादर आमंत्रित है। कृपया उक्त ज्ञापन आपके कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाये जाने का कष्ट करें ताकि सर्वसंबंधित ई–कोर्ट फीस संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

10.1.18
(तारकेश्वर सिंह)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार

पृष्ठां.क्रमांक/प्रशासन/210–ए(भाग)/93 इन्दौर, दिनांक 11/01/2018

प्रतिलिपि :–

रीडर टू रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(व्ही. बी. सिंह)
रजिस्ट्रार